

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रयोग में आने वाली आरक्षित वन भूमि का विवरण लैन्ड शेड्यूल।

वन प्रभाग - देहरादून वन प्रभाग।

वन वृत्त - शिवालिक वृत्त।

क०सं०	रेंज का नाम	कम्पार्टमेंट सं०	वन भूमि	लम्बाई मी० में	चौड़ाई मी० में	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	क्षेत्रफल है० में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बड़कोट रेंज	कक्ष सं० 4 ए०	आरक्षित वन भूमि	575.00	4.00	2300.00	0.230
2	बड़कोट रेंज	कक्ष सं० 4 बी०	आरक्षित वन भूमि	925.00	4.00	3700.00	0.370
योग				1500.00	4.00	6000.00	0.600

सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०
ऋषिकेश

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान
माजरे तक सड़क निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को
हस्तान्तरण।

सिविल भूमि का क्षेत्रफल :- शून्य

1. लैण्ड शिड्यूल (सिविल भूमि)

क्रम सं०	ग्राम / तहसील का नाम	खसरा नं०	हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है० में	विवरण
—	—	—	—	—

1. भूमि का मूल्यांकन :-

जनपद देहरादून में प्रस्तावित कार्य हेतु 0.600 है० आरक्षित वन भूमि की दर 500000/-
प्रति हैक्टेयर से प्रस्तावित भूमि का मूल्य रू० 5,25,000.00 होता है।

2. प्रस्ताव पर उपलब्ध संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं संबन्धित अधिकारियों के द्वारा जारी किये
गये प्रमाण पत्र के अनुसार हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयुक्त है इसके अतिरिक्त अन्य कोई
वैकल्पिक भूमि इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण में
कोई आपत्ति नहीं है। यह निर्माण जनहित में है अतः भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई पारम्परिक स्थल/रक्षा
प्रतिष्ठान/धार्मिक स्थल/श्मशान घाट/कब्रिस्तान एवं अन्य महत्वपूर्ण स्मारक एवं ऐतिहासिक महत्व के
स्थल नहीं है।

(अ) अतिरिक्त
अधिसूची अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

(ब) अतिरिक्त
अधिसूची अभियन्ता
देहरादून

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान
माजरे तक सड़क निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को
हस्तान्तरण।

आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल :- 0.600 है0

सिविल भूमि का क्षेत्रफल :- शून्य

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि जो बड़कोट
रेंज के अन्तर्गत स्थित है, किसी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कोरीडोर, राष्ट्रीय पार्क/वन्य
जीव अभयारण्य आदि का भाग/हिस्सा नहीं है/है।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित भूमि /क्षेत्र में दुर्लभ वनस्पति और
प्राणिजात की दुर्लभ /संकटपन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।


उप वन/सरक्षक
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग


उप प्रमोक्षक वनक्षेत्राधिकारी
कृषिक

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुड़ाने
माजरे तक सड़क निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को
हस्तान्तरण।

है0

आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल :- 0.600

सिविल भूमि का क्षेत्रफल :- शून्य

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम
1980 के अन्तर्गत विधिवत, भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग पर अभी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

उप वन संरक्षक
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

ऋषिकेश

वन क्षेत्राधिकारी

बड़कोट रेंज

देहरादून वन प्रभाग

ऋषिकेश
रवा प्रभाग, देहरादून